

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 366] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1981/कार्तिक 21, 1903  
No. 366] NEW DELHI, THURSDAY, NOV 12, 1981/KARTIKA 21, 1903

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1981

सं. 240—सीमा-शुल्क

सा.का.वि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962  
(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना  
सं. 262 सीमा-शुल्क, तारीख 10 मितम्बर, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए,

अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्षक सं. 1 के अंतर्गत जाने वाली काफी को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो प्रति क्विंटल 85 रुपए से अधिक है।

[फा.सं. 347/7/78-टी आर यू]

जे. श्रीधरन, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1981

No. 240—CUSTOMS

**G.S.R. 588(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 202-Customs, dated the 10th September, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 85 per quintal.

[F. No. 347/7/78-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.